

पोर्टेबल लांग सर्विस लीव क्या होती है?

यदि आप ACT में बिल्डिंग एवं कंस्ट्रक्शन, कम्युनिटी, कांटेक्ट क्लिनिंग या सिक्योरिटी उद्योगों में काम करते हैं, तो पोर्टेबल लांग सर्विस लीव एक प्रकार का वैतनिक अवकाश है जिसे आप इनमें से किसी उद्योग में निश्चित अवधि तक काम करने के बाद उपयोग कर सकते हैं। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने अलग-अलग नियोक्ताओं के लिए काम किया है, आपके लिए केवल यह ज़रूरी है कि आपने आवश्यक समय के लिए समान उद्योग में काम किया हो।

- यदि आप **बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन** में काम करते हैं, तो आप इस उद्योग में 10 साल के लिए काम करने के बाद 13 सप्ताह के वैतनिक अवकाश के पात्र होंगे।
- यदि आप **कम्युनिटी सेक्टर** में काम करते हैं, तो आप इस उद्योग में 5 साल के लिए काम करने के बाद 4.33 सप्ताह के वैतनिक अवकाश के पात्र होंगे।
- यदि आप **कांटेक्ट क्लिनिंग** में काम करते हैं, तो आप इस उद्योग में 7 साल के लिए काम करने के बाद 6.06 सप्ताह के वैतनिक अवकाश के पात्र होंगे।
- यदि आप **सिक्योरिटी** में काम करते हैं, तो आप इस उद्योग में सात साल के लिए काम करने के बाद 6.06 सप्ताह के वैतनिक अवकाश के पात्र होंगे।

ACT लांग सर्विस लीव अथॉरिटी क्या है?

हम ACT की एक सरकारी संस्था हैं जिसकी जिम्मेदारी आपकी पोर्टेबल लांग सर्विस लीव की निगरानी करना है।

मैं कैसे जान सकता/ती हूँ कि क्या मैं रजिस्टर्ड हूँ या नहीं?

यदि आप बिल्डिंग एवं कंस्ट्रक्शन, कांटेक्ट क्लिनिंग, कम्युनिटी सेक्टर या सिक्योरिटी उद्योगों में काम करते हैं, तो आपके नियोक्ता के लिए यह आवश्यक है कि जब आप उनके लिए काम करना शुरू करें तो वह लांग सर्विस लीव के लिए आपको हमारे पास रजिस्टर करे। आपके रजिस्टर होने के बाद हम आपको एक पत्र भेजेंगे, जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन विवरण दिया होगा। यदि आपको यह पत्र नहीं मिलता है, या यदि आपको यह पक्का पता नहीं है कि क्या आप रजिस्टर्ड हैं या नहीं, तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए हमसे संपर्क करना चाहिए कि हमने आपके विवरण रिकॉर्ड किए हैं।

आपके रजिस्टर्ड होने के बाद, आपको प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में हमसे एक स्टेटमेंट प्राप्त होनी चाहिए जिसमें यह लिखा होगा कि आपने वर्ष में कितने दिन काम किया है, आपने वर्ष में किस-किस नियोक्ता के साथ काम किया है और आपके लिए क्या वेतन रिकॉर्ड किया गया है। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग आपकी पोर्टेबल लांग सर्विस लीव का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। हर वर्ष जब आप अपनी स्टेटमेंट प्राप्त करते हैं तो आपको यह जांच करनी चाहिए कि यह सूचना सही है। यदि आपको लगता है कि आपकी स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं दी गई है या इसमें कुछ गलत प्रतीत होता है, तो आपको इसकी जांच करने के लिए हमसे संपर्क करना चाहिए। यदि आपको स्टेटमेंट नहीं मिलती है तो कृपया हमें बताएँ। हो सकता है कि हमारे पास आपके सही संपर्क विवरण न हों या हो सकता है कि आप रजिस्टर्ड न हों।

यदि मुझे अपनी पोर्टेबल लांग सर्विस लीव के बारे में जानकारी की ज़रूरत हो तो मैं क्या करूँ?

यदि आपको अपनी पोर्टेबल लांग सर्विस लीव के बारे में जानकारी की ज़रूरत हो तो कृपया हमें 6247 3900 पर फोन करें या enquiry@actleave.act.gov.au पर ई-मेल करें। यदि आपको अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो कृपया टेलीफोन दुभाषिया सेवा को 131 450 पर फोन करें।